

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 15/परीक्षा/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II/माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-I/2023-24

दिनांक : 14.02.2024

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II (Librarian Grade-II) के कुल 300 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह अवधि 15 फरवरी से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का बर्तव्य बर्गीकरण विधानानुसार है-

No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
NON SA-252	85	24	9	0	30	4	0	0	24	1	0	0	37	8	1	0	8	0	0	0	20	1	0	0
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-11, SC-1, ST-0, OBC-1, MBC-0, EWS-0) 2-(i) LV-9, (ii) D., H.H.-4, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.I.D., Autism & (b) Mul Dis. - 0																								
सहस्रि 3	GEN.-3, WE-0, WD-0, DV-0																							
SA-45	18	5	1	0	2	0	0	0	14	4	1	0												
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-2, SC-0, ST-2)																								

Abbreviations Used: GEN - General, UR - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD - Widow, DV - Divorced, BLV - Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H - Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I - Mental Illness, S.I.D. - Specific Learning Disability, Mul Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped, डिफिणी - एकलक्षिक दिव्यांगता (Mul Dis - Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपयुक्त शाली में दिव्यांगता की दशाईं मई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

विशेष नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की शक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
टिप्पणी - यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शक्तियों को पर्याप्तवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई शक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार शक्तियों का भरा जाना पद आचारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध शक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी शक्ति पर्याप्तवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विवाह या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में शक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित शक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित शक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी शक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए शक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित शक्ति पर्याप्तवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण बना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में वर्गीकृत महिलाओं को भी पहले महिला कोट के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान स्विच संवा (मूलपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार मूलपूर्व सैनिकों के लिए शक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त मूलपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और शक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी शक्तियां व्ययगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई शक्ति उपयुक्त बैधमाक-निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी शक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैधमाक-निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो निशक्तता उस शक्ति की निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं मूलपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में फाति निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में फाति निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एस्सी/एस्टी/ओबीसी/एनबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्राधान्य संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जांच/सक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति को आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अंशित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे-बैंड	पे-बैंडिंग लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
क्र.सं.	विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आनु सीमा में छूट के प्राधान्य अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां अधिकतम आयु में देय छूट

1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्याग) महिला Widows and divorced Women Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of a divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपरोक्त उष्णतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार की अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकापु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिपरिचित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कालवास की कालवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उसने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में दी होगी बशर्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समाजा जायेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवायत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमिशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमिशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समाजा जाएगा यदि उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमिशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इन सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समाजा जायेगा यदि वे आयोग के समक्ष आवेदन उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन सिविलीकरण के पश्चात् यदि अनुभवी आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष आयु होगी किन्तु सीमा भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहाँ 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years to Ex-servicemen; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 कक्षासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवाओं/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिकों को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता को संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
12.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष भर्तियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों गिनने सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्पत्ती माने जायेंगे।		
नोट -		
1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।		
2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।		
3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आश्वासन के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए अरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।		
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवाविनियुक्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
5. आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।		
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कोरिंग/मॉडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) प्रणालि को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशासित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा के प्राप्तियों की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम 22 की अनुसूची- III के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त अनुसूची में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक् से जारी किया जाएगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 20.03.2024 रात्रि 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को	

Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. पूरा के विवरणों का इन्पुट एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवे। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनकार्ड/आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर निम्नानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की डाई कोपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेवे।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से करा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
- अभ्यर्थियों को भुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर भुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 05 रंगीन फोटो प्रतियाँ सुविधित रखें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
- आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
- One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
- किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एस.ओ. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
- सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
- आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कल्पनी अधिकार नहीं होगा।

एककारीय पंजीयन शुल्क :- क्रमिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त नवीं परीक्षाओं में एककारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

- सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी - रुपये 600/-
- अरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरीय क्षेत्र) के अभ्यर्थी - रुपये 400/-
- दिव्यांगजन - रुपये 400/-

नोट :-

- राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एस.एस.ओ. आई.डी. डाई लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑफिस पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एककारीय पंजीयन शुल्क जमा करवावे।

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-II :-

The Examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

PAPER - I

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2:00 Hours.
- The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निशक्तजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उतीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
- Paper shall include following subjects:-
 - Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - Current Affairs of Rajasthan
 - General knowledge of world and India
 - Educational Psychology.

Paper-II : Knowledge Organization, Informative Processing and Retrieval.

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2:00 Hours.
- The question paper will carry 100 question of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (नृत्तपूर्व सैनिक का आगमन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निराक्षरजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्कानानुसार नृत्तपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जाएगी।

6. Paper shall include following subjects:-

(i) Universe of knowledge, Structure and Attributes, Modes of formation of subjects, Different types of subjects, Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.

(ii) Bibliographic description, Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules, Normative principles of cataloging, Overview of principles of practice in document description, Current trends in standardization, description and exchange, Standard code of cataloging.

(iii) Methods of knowledge organization, General theory of Library classification, Normative principles of classification and their applications, Species of Library classification, Standard schemes of classification and their features, CC, DDC, UDC.

Notation: need, functions, characteristics, Design and development of schemes library classification, standard sub-division index, Trends in Library classification.

(iv) Subject Classification, Principles of subject classification, Subject heading lists and their features.

उक्त पर हेतु आशयित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. It is mandatory to fill one option for each question.

3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करे जिस पर वह परीक्षा/सामाजिक इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से प्राप्त है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

2. अभ्यर्थी यथासमय मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग की हीन में करें।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियां से आशयित हो तें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मेल/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलभरात हुई हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् पुष्टि होने पर उन्हें सुझाते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मेल अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मेल अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाये। ई-मेल अथवा अन्य स्रोत के माहौल में न छोड़ें कि उनके द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरने जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परिवर्तन मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्पृष्ठ खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग से अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/वस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/सामाजिक में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों को पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्वस्थ रूप से ध्यान देने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रामाणिक फोटो प्रतियां एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्पृष्ठ खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्गों की पात्रता नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयवाधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी भगम त्रिवेदी जैन व अन्य के प्रकरण में धारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विधिवन्/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। परीक्षा/सामाजिक के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु अक्षर-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, सिक दस्तावेज (स्था - शरण कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निराक्षरता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

11. विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक तत्तन न्यायालय द्वारा प्राप्ति न्यायालय की किसी (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विधिवन् आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/बाद माननीय न्यायालय में विचारणीय/ललित है एवं किसी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व प्राप्ति नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विधिवन्/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

12. विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक उक्त पद हेतु तनी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं

अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही माना जाएगा अन्यथा अस्वीकार माना जाएगा।

14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु सक्ती छूट नहीं दी जायेगी।
15. परीक्षाओं को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा। परीक्षाधी द्वारा दिशा-निर्देशों को अनुसर कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षाधी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन/विद्यार्थीजनों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया:-
 - The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness) कोजोमोटर डिस्बिलिटी (दोनी हाथों की निशक्तता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पल्सी श्रेणी वाले अन्धवी द्वारा पढ़ने पर, विद्यार्थी प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विजिल्स अधिकारी/विजिल्स अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र एवं विद्यार्थी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी।
 - श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये योग्य विद्यार्थीजनों अन्धवी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकता है या केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु परीक्षा दिनांक से 02 दिवस पूर्व अनुरोध कर सकता है।
 - उक्त अधिनियम के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विजिल्स अधिकारी/विजिल्स अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र एवं विद्यार्थी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। ऐसे अन्धवीजों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम 02 दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
 - श्रुतलेखक से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण-पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों में अंतर्गत करे।
18. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के फैसले द्वारा तयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अन्धवीजों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
19. परीक्षाधी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षाधी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षाधी को विनाशक राजस्थान शार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
20. यदि किसी अन्धवी/परीक्षाधी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेंसियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अन्य व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/सहायकारों आदि से विधार्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/सहायकारों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
21. राज्य कर्मचारी को देय लाभ तथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्धवी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सात्यापन :-

आवेदक को दस दिनों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/रज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तक ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण भविष्य होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्धवीजों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अन्धवी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्धवी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं जमीनलेख/नॉन जमीनलेख की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिला एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जमीनलेख के अन्धवीजों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्धवीजों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्धवी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/सहायकार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अंकित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे-श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम विजिल्स अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से सिक प्रमाण पत्र (यथा - सक्षम काई, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार काई, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विधिवन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विवाह विधिवन/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-बीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, फल के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पर्यवेक्षण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व समुचित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पर्यवेक्षण कालावधि को विधिवन कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-बीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रविष्टि समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की वशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग को फायदे से विधार्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद प्राप्त के लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-जर व्योरो के बारे में कोई चर्चा/सोपना पत्र/वचनबद्ध होता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विधार्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिस राजस्थान सरकार के अधीन वैयक्तिक/सिद्धा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विधार्जित नहीं किया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.8(19)गड-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन

कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाधनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक विरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चे/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होती है, वही बच्चे/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निराश्रित हो, गणना नहीं की जायेगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के तहत किसी किताब एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाधनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अध्यापिका के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/प्रमाण होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी अपराधिक घाश का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी अपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/काद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फिकेस्ता जीव सम्बन्धी फिकेस्ता प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु नहीं में हो गया है, उन्हें अपने नियोजता से अनुरोध प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र को सुधार हेतु व्यक्ति/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बंधित नहीं परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्वाइ ऑनलाईन आवेदन पत्र में नहीं गई सूचना को सही मानते हुए नहीं परीक्षा में अस्वाइ प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-विज/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विरत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित सहायक कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अधिक दूरभाष सं-0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बंधित किया जाए।

(रामनिवास मेहता)
सचिव

क्रमांक: प.8-A(20)Exam/Lib. Gr-II/RPSC/EP-1/2023-24/204

दिनांक : 14.02.2024

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत वि.सं.15/परीक्षा/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II/माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-1/2023-24 राजस्थान राजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार समुक्त प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी